



कार्यालय/OFFICE OF THE
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड
PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX BIHAR & JHARKHAND
प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन/1st FLOOR, C.R BUILDING,
बीरचंद पटेल मार्ग, पटना/BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001
दूरभाष नं /TEL NO : 0612-2504447, फैक्स/FAX : 0612-2504066
ईमेल/Email- patna.pccit@incometax.gov.in

2023 का आदेश संख्या. 100
ORDER NO 100OF 2023
दिनांक/DATE: 23/03/2023

वर्ष 2023 के लिए दिनांक 23.03.2023 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसरण करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नोटिस सर्वर के रूप में वेतन स्तर- 3 के वेतनमान रु. 21,700/- रु. 69,100/- (7^{वें} वेतन आयोग के अनुसार) एवं अन्य स्वीकार्य भत्ते के साथ तत्काल प्रभाव से या कार्य ग्रहण की तिथि से, जो भी बाद में हो, स्वस्थाने आधार पर पदोन्नत किया जाता है। ये कर्मचारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान कार्यालय में जहां वे तैनात हैं उन्हीं कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नति से पहले कर रहे थे।

Pursuant to the panel recommended by the DPC held on 23.03.2023 for Vacancy Year 2023, the following officials are hereby promoted as Notice Server in the Pay Scale of Level 3; Pay Matrix Rs. 21,700/- - Rs. 69,100/- (as per 7th CPC) plus such allowances as may be admissible with immediate effect or from the date of joining, whichever is later on *In Situ* basis. These officials will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotions in the present office where they are posted until further order:

क्रम सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	श्रेणी	जन्म-तिथि	कर्मचारी सं.
1.	Manoj Kumar	OBC	12.03.76	126983
2.	Rohit Pandit	UR	04.10.75	153132

शर्तें/Conditions

- उपरोक्त नामित कर्मचारियों की उपरोक्त पदोन्नति परस्परिक वरिष्ठता इस संबंध में/प्राप्त प्रशासनिक आदेश के साथसाथ कानूनी फोरम - आदेश/के किसी भी अन्य निर्देश, यदि कोई हो, के अनुपलन में प्रत्यावर्तन संशोधन के अधीन होगी।
The above promotion/inter-se seniority of the above named officials shall be subject to reversion/revision in view of any further direction/orders of legal forum as well as administrative orders in this regard, received if any.

श्री गजप, 9.5.14
21/02/2023

2. उक्त पदोन्नति आदेश किसी भी आकस्मिकता जैसे रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन आदि के साथसाथ किसी - और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से/डी ओ पी टी/सी बी डी टी/न्यायालयप्राप्त किसी भी निर्देश के आलोक में समीक्षा/ प्रत्यावर्तन के अधीन है।

The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

3. उक्त पदोन्नति आदेश माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा CWP संख्या 13218/2009 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.07.11 के आदेश के परिणामस्वरूप अपील(c) संख्या 30621/2011 की विशेष अनुमति में और दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.08.2017 के निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 31288/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित/ दिए गए आदेश/निर्देश एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या संचिका संख्या 36012/11/2016-Estt (ps-1) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 के अनुसार संसूचित संबंधित अदालती मामलों के अधीन समीक्षा के अधीन होगा।

The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

4. उक्त पदोन्नति आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय और डीओपीटी के निर्णय और विभिन्न दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एचआरडी, सीबीडीटी, नई दिल्ली द्वारा जारी सलाह के मद्देनजर फीडर संवर्ग में पारस्परिक वरिष्ठता के संशोधन/पुनर्निर्धारण के संबंध में समीक्षा के अधीन है।

The said promotion order is subject to review in respect of revision/refixation of inter-se seniority in feeder cadre in view of advisories issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the Judgement of Hon'ble Supreme Court and various guidelines of DoPT.

5. केंद्रीय सिविल सेवा नियम के अनुसार (संशोधित वेतन) लाभू सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पदोन्नति पर कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण किया जा सकेगा।

The pay of the officials on promotion may be fixed in accordance with the recommendations of 7th CPC as per the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, applicable.

6. यदि एम ए सी पी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान कर दिया गया है तो प्रशिक्षण एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 35034/2008-Estt (D) दिनांक 19 मई 2009 और कार्यालय विज्ञापन संख्या 35034/3/2015 -Estt (D) दिनांक 28 सितंबर 2016 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अनुसार इस ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि कुछ मामलों में जहाँ नियमित पदोन्नति दो अनुक्रमिक वेतन मैट्रिक्स या ग्रेड के बीच नहीं हैं तो वहाँ संबंधित संवर्ग या संगठन के पदक्रम में आगामी पदोन्नति पद से सम्बद्ध उच्चतर ग्रेड वेतन/ वेतन मैट्रिक्स(7) वेतन आयोग के अनुसार(नियमित पदोन्नति के समय देय होगा।

No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

7. यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त पदोन्नति को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्नती दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगली रिक्ति उत्पन्न होने तक, जो भी बाद में हो, नोटिस सर्वर के पद पर पदोन्नति से वर्जित कर दिया जाएगा।

It may be noted that in the event of refusing the above promotion the official getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Notice Server for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till next vacancy arises, whichever is later, as per the DoPT OM No. 22011/5/91-Estt.(D) dated 27.03.97.

8. संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा उपर्युक्त कर्मियों की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट उपर्युक्त कर्मियों के कार्यग्रहण के सात दिनों के अंदर इस कार्यालय में अग्रसारित की जाएगी।

The compliance report regarding joining of the above officials shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such officials.

नोट किसी भी विवाद की दशा में इस आदेश के अंग्रेजी पाठ मान्य होगा -:

Sdf
(पल्लवी)

अपर आयकर आयुक्त (मु.) (प्रशा.), पटना

Addl. Commissioner of Income Tax, (Hq) (Admin), Patna

ज्ञापक/Memo No. F.No PCCIT/Estt/Pat/25015/09/2017-18/12480

दिनांक /Dated, 23/03/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित/Copy for information to:

1. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), (पटना/The DGIT (Inv.), Patna
2. मुख्य आयकर आयुक्त/राँची, The CCIT, Ranchi.
3. बिहार एवं झारखंड के अंतर्गत सभी प्र/ आ आ . प्र आ नि /आ नि/ आ आ/
All the PCsIT/PDsIT/CsIT/DsIT under Bihar & Jharkhand.
4. बिहार एवं झारखंड के अंतर्गत सभी क्षेत्र/अ.ले. All the ZAOs under Bihar & Jharkhand.
5. आयकर अधिकारी (कल्याण), आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ ITO(Welfare) for uploading on official website.
6. महासचिवआई टी जी ओ ए/आई टी ई एफ/आई टी सेवा, बिहार एवं झारखंड सर्किल पटना,
The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna.
7. सम्बंधित कर्मचारी/Official(s) concerned.
8. गार्ड फाइल/Guard File.

संयुक्त आयकर आयुक्त (स्वस्थाने) (मुख्या.) (प्रशा.)

Joint Commissioner of Income Tax (In-situ) (Hqrs) (Admin)

कृते : प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, बिहार एवं झारखंड, पटना

For: Pr. Chief Commissioner of Income Tax, B&J, Patna